

किस्म मुकदमा:- धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बर:- 10/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अतिरिक्त जिला कलक्टर फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/05/2024	<p>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी:- ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर फलौदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक/आर.टी. आई. /2023/272 दिनांक 19.04.2024 के द्वारा आवेदक का भारतीय डाक से भिजवा दी गई थी, जिसकी प्रति भी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।</p> <p>प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाएं जरिये डाक अपीलांत को भिजवा दी गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर फलौदी द्वारा सूचना आवेदन में सूचना की प्रति अपीलांत को उपलब्ध करवायी गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।</p> <p>अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपील फ़ैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	